विचार बिन्दु

मैं हिन्दुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिन्दवी में पूछो। मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूँगा। –अमीर ख़ुसरो

संविधान दिवस मनाने से पहले उसके मूल तत्वों का मनन कर लें

देश में 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले इसे '**राष्ट्रीय विधि दिवस**' के रूप में भी मनाया जाता था, किन्तु भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को राजपत्र में एक सूचना प्रकाशित कर इस दिन को '**संविधान दिवस**' घोषित किया। वह साल डॉ. भीमराव आंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष था। इस तारीख का महत्व इसलिये है कि इस दिन 1949 में भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार करते हुए अंग्रेजों के साम्राज्यवाद से मुक्त हुए देश में कानून के शासन का वादा किया। हमारा गणतांत्रिक संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान निर्माताओं ने जिस भारत की कल्पना की थी, उसमें 'समानता' शब्द महत्वपूर्ण है। संविधान ने हमें समान नागरिकता प्रदान की। यह समानता राज चलाने के लिये अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार ही नहीं देती, बल्कि अभिव्यक्ति और अपनी आस्था के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार भी देती है। किन्तु 70 साल से अधिक हो जाने के बाद बहुतों को लगता है कि संविधान की भावना पर हम अब भी खरे नहीं उतरे हैं। संविधान सभा में डॉ. आंबेडकर ने चेतावनी दी थी कि हम विरोधाभासों की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। आज हम वास्तव में अपने को विरोधाभासों में उलझा पाते हैं। वह इसलिए कि रियासतों के एकीकरण से जिस राष्ट्र का निर्माण किया जा रहा था वह जबरदस्त विविधताओं वाला मुल्क था। संविधानसभा ने इस विविधता को मान्यता दी और उसे समाहित करने के लिए एक संस्थागत और कानूनी ढांचा बनाया। संविधान के साथ हम भारत के लोगों ने समान नागरिकों वाला एक बहुल राष्ट्र बनाने का मानव इतिहास में सबसे महान मगर जटिल प्रयोग शुरू किया था। यह प्रयोग अपनी महत्वाकांक्षा में अद्वितीय था। अपना संविधान तैयार करने की संविधान सभा बना कर संविधान की रचना करने की राजनीतिक पद्धति उस ब्रिटेन में भी नहीं थी जो सत्ता हस्तांतरित करके जाने वाला था। इसका सीधा सा कारण यह था कि ब्रिटिश संविधान के तहत संविधान कानून जैसी कोई चीज नहीं है। यह ब्रिटिश संसद का एक खास विशेषाधिकार है। वहां संसद ही एकमात्र संप्रभु प्राधिकरण है, तथा देश के संवैधानिक कानून सहित सभी कानूनों को बनाना और हटाना उसी का काम है। संविधान सभा ने संप्रभुता विधायिका को नहीं यहां के नागरिकों को दी। संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा राष्ट्र बनाने के जिस सपने को मूर्त रूप देने की चेष्टा की वह बहुसंख्यकवाद के विचार पर आधारित नहीं था। यह सपना था एक ऐसे राष्ट्र का जिसमें सबके लिये समान जगह हो। धर्म, जाति, लिंग का भेद न हो। उसमें जबरन एकरूपता का कोई सोच न था। संविधान ने विविधता की मौलिकता को मान्यता दी।

भावी आज़ाद मुल्क के लिये संविधान की कल्पना कांग्रेस ने की थी। वर्ष 1934 में जब से कांग्रेस ने इस विषय पर नेतृत्व किया तब से संविधान सभा का विचार देश के लगभग सभी राजनीतिक विचारधारा वाले वर्गों में आस्था का विषय बन गया। नवंबर 1939 में कांग्रेस कार्यसमिति ने एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि भारत की स्वतंत्रता को मान्यता देना और संविधान सभा के माध्यम से अपने संविधान का निर्माण करने के लिए उसके लोगों के अधिकार को मान्यता देना आवश्यक है। इस कार्यसमिति में, और इससे पहले 1936 के फैजपुर अधिवेशन में, पारित प्रस्तावों में कहा गया कि संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाना चाहिए। लेकिन मार्च 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित किए जाने तक संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के विचार को पूरी तरह कभी स्वीकार नहीं किया गया। हालांकि, बाद में मुस्लिम लीग के रुख में बदलाव आया और वह संविधान सभा के विचार के पक्ष में हो गई। मगर वह देश में दो अलग राज्यों की अपनी मांग के अनुरूप दो संविधान सभाएं चाहती थी। एक संविधान सभा उन क्षेत्रों के लिए जिन पर लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का दावा किया था और दूसरी संविधान सभा शेष भारत के लिए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस देश में संविधान निर्माण के लिए एकमात्र प्रत्यक्ष साधन के रूप में संविधान सभा के विचार को 1940 में दो प्रमुख राजनीतिक दलों ने स्वीकार तो किया मगर इस अंतर के साथ कि जहां कांग्रेस पूरे भारत के लिए एक संविधान सभा चाहती थी, वहीं मुस्लिम लीग देश में दो अलग-अलग राज्यों की अपनी मांग के अनुसार दो संविधान सभाएं चाहती थी। चाहे एक हो या दो, संविधान सभा के गठन का विचार संविधान निर्माण के लिए उचित तरीका है, यह विचार उस समय तक देश की जनता की चेतना में स्पष्ट रूप से उभर चुका था, और यह उस भारी मानसिक उथल-पुथल के संदर्भ में था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि ''**इसका अर्थ है एक गतिशील राष्ट्र, जो अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने लिए एक नई सरकार बना रहा है**''। भारत के संविधान के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त विधि के रूप में संविधान सभा की अवधारणा को सप्रू समिति के सदस्यों ने भी समर्थन दिया था, जिसकी रिपोर्ट वर्ष 1945में जारी की गई थी, जिसमें संविधान सभा के गठन के लिए एक निश्चित योजना तैयार की गई थी। हालांकि, भारतीय संविधान सभा ब्रिटिश कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के तहत बनी जिसने कांग्रेस, लीग और अन्य राजनीतिक संगठनों द्वारा इस विषय पर दिए गए सुझावों से अलग होकर एक ऐसी योजना तैयार की थी, जिसे सभी ने नहीं, लेकिन कई राजनीतिक दलों ने और देश में राजनीतिक रूप से सोच रखने वाले वर्गों के बड़े हिस्से ने स्वीकार किया था। उन लोगों ने भी, जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं थे, इसे एक परीक्षण के लायक माना, ताकि वर्षों से चला आ रहा राजनीतिक गतिरोध समाप्त किया जा सके। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के कुछ हिस्से कुछ राजनीतिक दलों के बीच तीखे विवादों का विषय भी रहे।

लोकतान्त्रिक संस्थाएं जनता के विश्वास पर ही खड़ी रह सकती है। विधायिका और न्यायपालिका भी उत्कृष्टता के मानकों को तभी बनाए रख सकती हैं जब उनके सभी हितधारक अपनी-अपनी जिम्मेदारी समझें। बार, पुलिस और कार्यपालिका की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। मगर इन सबके ऊपर हम भारत के लोगों का जागरूक होना सबसे अधिक जरूरी है।

संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने सदन में अपने पहले उद्बोधन में कहा था: माननीय सदस्यगण, मेरी प्रार्थना है कि जिस संविधान की आप योजना बनाने जा रहे हैं, वह अमरता के लिए तैयार हो, ताकि मानव की इसके अमृत्व की आकांक्षा ऐसी अटूट शक्ति की संरचना बना सके जो वर्तमान और भविष्य की सभी विनाशकारी शक्तियों को मात दे सके। स्पष्ट था कि विविधताओं को साध कर ही यह अमृत्व पाना था। संविधान बनाने वाले चाहते थे कि विभिन्न विचारधाराओं, संस्कृतियों और धार्मिक संप्रदायों के लोग आपसी सहकार और प्रेम की भावना के साथ साझी विरासत को अपनाते हुए नये राष्ट्र का निर्माण करें। संविधान में उन्होंने उन सामान्य पहलुओं की पहचान कराई जो हमें एक राष्ट्र और एक लोगों के रूप में बांधते हैं। मगर दुर्भाग्य से संविधान लागू होने के 70 से अधिक सालों बाद भी हम पाते हैं कि वैसा सामाजिक ताना-बाना मजबूती से नहीं बन पाया जिसकी कल्पना की गई थी। अब तो इस ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने के प्रयास होते नज़र आते हैं। समझदार लोग मानते हैं कि इस ताने-बाने को रफ़ू किए बिना हम आर्थिक प्रगति के बावजूद आधुनिक और मजबूत भारत का निर्माण नहीं कर सकेंगे। मौजूदा समय में लोकतान्त्रिक संस्थाओं पर विश्वास घटता जा रहा है। बढ़ती हुई जटिल सामाजिक समस्याओं से निपटने में इन संस्थाओं की कमजोरी एक आम बात हो गई है। हर लोकतांत्रिक संस्था इस चुनौती का सामना कैसे करे यह यक्ष प्रश्न है। सभी संवैधानिक संस्थाओं की व्यवहार्यता लोगों की स्वीकार्यता पर निर्भर करती है। जब व्यवस्था की व्यवहार्यता बदनाम होने या बिगड़ने लगती है तब शासन की व्यवस्था समुदाय के लिए अपनी उपयोगिता खोने लगती है। मौजूद समय की सबसे बड़ी चुनौती संस्थाओं की विश्वसनीयता और लोगों के उन पर विश्वास को बहाल करने की है। लोकतान्त्रिक संस्थाएं जनता के विश्वास पर ही खड़ी रह सकती है। विधायिका और न्यायपालिका भी उत्कृष्टता के मानकों को तभी बनाए रख सकती हैं जब उनके सभी हितधारक अपनी-अपनी जिम्मेदारी समझें। बार, पुलिस और कार्यपालिका की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। मगर इन सबके ऊपर हम भारत के लोगों का जागरूक होना सबसे अधिक जरूरी है। नागरिकों में जागरूकता बेहतर शिक्षा और आदर्शों की के प्रति निष्ठा से आती है। जिन हालात में भारतीय लोकतंत्र को हम इन दिनों पाते हैं उससे यहां के नागरिकों में परास्त होने का भाव पैदा हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। लोगों का मनोबल गिरता है तो अधिनायकवादी प्रवत्तियां तथा ताकतें पनपती हैं। जनसंचार की नई तकनीकों ने सभी को एक खुला मैदान दे दिया है। सोचा गया था कि वहां अच्छाई का संसार रचने का बेहतरीन मौका मिलेगा। किन्तु वहां भी ऐसी ताकतों ने अपना मायाजाल बिछा दिया है जो विविधताओं वाले एक सुंदर राष्ट्र बनाने की राह को कुंद कर रहा है। वहां विभाजनकारी और कट्टरता वाली ताकतें युवा पीढ़ी को लुभा रही हैं और उन्हें संवैधानिक साझे समाज की रचना के विचार से दूर धकेल रही है। भारतीय संविधान का निर्माण देश के विभाजन की काली छाया वाले विध्वंश के काल में हुआ था। मगर हमें एक शायर की इस बात का यकीन था कि ''**यूनान-ओ-मिश्र-ओ-रोमां सब मिट गये जहां से/ बाक़ी अभी तलक है नाम-ओ-निशां हमारा**''/''**कुछ बात है के हस्ती मिटती नहीं हमारी/ सदियों रहा है दुश्मन दौर-ए-ज़मां हमारा।**'' आज भी यही यकीन हमें रास्ता दिखाएगा।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

देश में प्रजातंत्र या लोकतंत्र का विकास और विस्तार गर्व करने की सीमा क्या लांघ चुका है?

प्रो. वीर बहादुर सिंह

देश के नागरिकों और आम जनता को और क्या चाहिए भय रहित जीवनयापन की सुविधायें, समाज से जुड़ाव और नागरिक होने के सभी कर्तव्यों का सुगमता से निर्वहन। अपराधी तो क्या साधारण लोग भी पहले पुलिस के नाम से ही काँप उठते थे, अब ऐसा कोई डर/भय नहीं। महान देश की एक महान उपलब्धि आज़ादी के बाद, कि सरकार का भय समाप्त । ये भय कुछ तो अखवार वाले उत्पन्न करते रहते हैं खबरों में मसाला मिलाकर अखबार में छापने, पढ़ने पर पाठक कई तरह के कयास लगा अपने में ही अनेक काल्पनिक भय उत्पन्न कर लेता है।

अखबार की आज एक ताजा खबर कि किसी आम नागरिक ने चुनाव की गतिविधिओं के मध्य एक एस.डी.एॅम. को थप्पड़ जड़ दिया। स्वाभाविक रूप से पुलिस वहां रही होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। पुलिस से भय के गिरते मापदंड ने यह साबित कर दिया कि आने वाले समय में अन्य ऊंचे ओहदों पर विराजमान अफसर और संभवत: मंत्री व् अन्य जनप्रतिनिधि भी कभी न कभी ऐसे थप्पड़ों का जायका जरूर चखेंगे? कारण स्पष्ट है कि हमने व्यवस्था और परिपाटी प्रशासन में ऐसी ही विकसित की है।

पहले पुलिस वालों के पास राइफल बन्दूक हुआ करती थी, कंधे पर लटकी जरूर होती चाहे उसे चलाने की कभी जरुरत न पड़े। अब बन्दुक के स्थान पर एक ढाई फ़ीट का बेंत का डंडा सिपाहीओं को पकड़ा दिया है। उससे कितना डर सृजित होता है कहा नहीं जा सकता? परन्तु यह निश्चित है कि थप्पड़ की मार उस छोटे से डंडे के मुकाबिले कहीं अधिक जोरदार और भयाक्रांत साबित हुयी कि राजस्थान के सभी हिंदी अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर बड़े अक्षरों में सुर्खियां बन गई। घटना टोंक ज़िले के किसी चुनाव केंद्र की है। राजस्थान में कहावत भी है कि जो पहले मारे वह मीर।

आगे के दिनों में आने वाली ख़बरों से पता चला कि थप्पड़ मारने वाले को गिरफ्तार कर लिया और न्यायलय ने तथाकतिथ अपराधी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और इस प्रकार मारने वाले को अपराध सबूत नहीं मिलने से सजा से मुक्त होने का रास्ता बन गया। क्या औचित्य था थप्पड़ मारने पर 14 दिन न्यायिक हिरासत का? बहुत छोटी बात थी, एस डी एम साहब को लोकतंत्र में बड़प्पन दिखाते हुए उसे क्षमा कर देते? लेकिन यहाँ अखवारी तंत्र की भूख को तृप्त करने का भी सबाल है वह फिर कैसे पूर्ण होता ? देखते रहिये ऊँट किस करवट बैठता है ? हमारी अनोखी न्याय् प्रणाली जिस करवट और किस समय बैठायेगी वह सब देखने-सुनने के लिए नित अखबार पढ़ते रहिये। याद रखिये मामला केवल एक थप्पड़ का है जिसे हम बहुधा सामान्य जीवन में भी जड़ते रहते हैं।

इस घटना को मैं किसी आपराधिक दृष्टि नहीं देखता हूँ और न ही किसी कानूनी पक्ष की दृष्टि से। मैं तो केवल आंकलन कर रहा हूँ कि हमारा प्रजातंत्र अथवा लोकतंत्र किस दिशा में अग्रसर होकर विकास कर रहा है। इससे अधिक मैं कुछ भी नहीं लिखना चाहता लेकिन थप्पड़ का जिक्र तो करना पड़ेगा। थप्पड़ कोई अलौकिक चीज़ नहीं। पाठको को याद दिला दूँ कि चांटा, मुक्का, घूँसा सब इसके पर्याय ही तो हैं लेकिन भिन्न भी हैं। श्री हनुमान जी सीता जी की खोज के समय जब समुद्र लांघ लंका पहुंचे तो वहां के दुर्ग के अंदर जाना दुष्कर था, कड़ा पहरा था। केवल एक स्थान पर उन्हें कुछ आस लगी क्योंकि वहां एक स्त्री 'लंकिनी' नाम की पहरा दे रही थी, सोचा ये कमजोर पड़ेगी या मधुर वचन से मान भी जाएगी। लेकिन वह तो बड़ी कठोर स्वभाव और लड़ाकू प्रवर्ति की थी। ऐसे समय अपनी दाल गलती न देख हनुमान बाबा ने एक मुष्टिका उसके मुहं पर जड़ दी, वह बेहोश होकर गिर पड़ी और नॉक और मुहं से रक्त निकल गया। लेकिन तुरंत ही वह सचेत हो खड़ी हो गई और उसे विचार आया कि लगता है ब्रह्मा जी का शाप फलीभूत होने जा रहा है शाप ये था कि जब किसी कपि के मारने से यदि निश्चर विकल हो जायं तो निश्चरों का अंत निकट आया समझो। ''बिकल होयँ जब कपि के मारे, तब जानेस निश्चर संघारे'' कानूनी पक्ष मैं यहाँ अधिक नहीं रखूँगा केवल इतना ही कहूंगा कि लंकिनी को मारने से हनुमान जी ने राज कार्य में बाधा उत्पन्न की क्योंकि लंकिनी पहरा देकर राज कार्य कर रही थी। भारत जैसा विपक्ष होता तो पुलिस में विरोधी पक्ष रिपोर्ट लिखा देता। लेकिन तब बाबा साहब का संबिधान तो था ही नहीं । सो लंका की सरकार कुछ न कर सकी और हनुमान जी अंदर परकोटे से होते हुए रावण के महल तक पहुंच गए। अब फिर लौटते हैं थप्पड़ पर, घूँसा में अधिक बल होता है क्योंकि चारो उंगलिओं और अँगूठे का सघटित बल बन जाता है। हनुमान जी ने अनेक स्तिथिओं में मुष्ठिका या मुक्का या घूँसा का ही प्रयोग किया है। छोटे-मोटे संघर्ष से निपटने में उन्होंने अपना गदा कम ही काम में लिया है।

रामचरित मानस असंख्य सीखों का खजाना है जो चाहो वह मिल जायेगा। समझ नहीं आता कि हमारे राहुल जी बाबा साहब की पुस्तक का मिनिएचर हाथ में लेकर क्यों लोगों को दिखा ते रहते हैं? मैंने तो आज तक बाबा साहब की पुस्तक देखी ही नहीं, और अब तो जीवन के आखिरी सोपान पर चल रहा हूँ ? मुझे तो और मेरे अनेक मित्रों को भी संबिधान देखने की जरुरत ही नहीं पड़ी। अरे, जिनको देखनी चाहिए वे देख लेंगे सब लोग उसे हाथ में लेकर हिलाते लोगों को दिखाएँ क्या यह खेल है? देश के लोगों को ऐसे कार्य हाथ में लेने चाहिए जिनसे आम जनता को लाभ मिले और विकास कार्य भविष्य की पीड़ी के उपयोग हेतु सुगमता से सृजित किये जा सकें। अनुत्पादक कार्यों से हम जनता के बीच ही हंसी के पात्र बनते हैं।

वैसे मैं स्वयं वर्तमान शासन-प्रशासन प्रणाली के कृत्यों से सहमत नहीं हूँ। अनेक अवसरों पर मैंने अपने लेखों के द्वारा इस प्रणाली के बदलने की अनुसंशा भी की है जिस पर कभी किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी । यहाँ मैं केवल इशारा किये देता हूँ कि देश में कोई राजनैतिक पार्टी नहीं हो, लेकिन चुनाव हों और पक्ष और विपक्ष में प्रतिनिधि संसद के अंदर ही संवाद करने को बाध्य हों, सभी जनप्रतिनिधि जनता चुने तो लेकिन वे अपने तर्क के आधार पर पक्ष और विपक्ष के रूप में जनहित के मुद्दों पर सम्बाद करें।

सत्तर वर्ष में डिजनरेशन से व्यक्ति, पेड़, पशु, पक्षी, कीट, पहाड़, नदियां, आदि सब कुछ बदल जाते हैं और अपनी उपयोगिता खो देते हैं। संविधान भी अब समय बीतने से एक रोटन ग्रन्थ बन कर रह गया है। जीवंतता उसमे अब रही ही नहीं। बाबा साहब ने उसे बड़े यतन से लिखा था लेकिन उनके बाद अनेक संशोधन और विकृतियां से राजनैतिक दृष्टि से आप उसे कुछ भी कहें परन्तु जर्जर हालत में और समय के साथ बदले हुए माहौल से उसकी सार्थकता अब उतनी नहीं रही जो होनी चाहिए थी। अगले लेख में मैं एक ऐसे शासन प्रशासन प्रणाली के बारे में लिखूगा जो एक नवीन पद्धति और सोच को विकसित करने में मदद करेगा।

–प्रो. वीर बहादुर सिंह,
डेरी एवं खाद्य विज्ञ, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जापान की संसद का अवलोकन किया

अजमेर, (कासं)। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को जापान की संसद ''डाइट'' का अवलोकन किया। देवनानी ने वहां की संसदीय व्यवस्थाओं की जानकारी ली। देवनानी ने जापान संसद का भवन, सदन, दीर्घाएं, सदन में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था, सदन की कार्य प्रणाली, अपर हाउस, लोअर हाउस, हाँ पक्ष व ना पक्ष लॉबी सहित भवन के विभिन्न कक्षों और सदस्यों की ऑनलाइन उपस्थिति का अवलोकन किया। देवनानी ने कहा कि जापान में सदन की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों और वहां की परम्पराओं और रीति-नीति के अनुसार होता है।

वासुदेव देवनानी ने जापान की संसद का अवलोकन कर संसदीय व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

- **देवनानी ने जापान में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा और महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर नमन किया**
- **देवनानी चार देशों की यात्रा के बाद आज जयपुर लौटेंगे**

देवनानी ने जापान की संसद में निचले सदन जिसे प्रतिनिधि सभा कहते हैं और ऊपरी सदन जिसे पार्षदों का सदन कहा जाता है, को देखा। देवनानी को संसद के अधिकारियों ने बताया कि संसद के दोनों सदनों के स्थायी आदेश होते हैं और उनकी अपने सदस्यों को अनुशासन करने की जिम्मेदारी होती है। दोनों सदनों को मंत्रियों को तलब करने का अधिकार भी मिला हुआ है। हाउस ऑफ रेप्रेसेंटेटिव जापान के राष्ट्रीय सदन का निचला सदन है और हाउस ऑफ काउंसिलर्स का सदन उच्च सदन है। वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को जापान में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा और महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। देवनानी ने कहा कि भारत दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्था बन कर उभर रही है, जो दुनिया को बदलने का आधार बन रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा अतीत में किये गये कार्यों का परिणाम है कि भारत बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रपिता को नमन करते हुए देवनानी ने कहा कि महात्मा गांधी के बिना भारत को स्वतंत्र होने के लिये और लम्बा संघर्ष करना पड़ता। साथ ही देवनानी ने कहा कि महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने देश में और देश के बाहर रहकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। रामायण का जापानी भाषा का अनुवाद करने वाले बोस ने टोक्यो में भारतीयों को संगठित करने का प्रयास किया। उन्होंने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिन्द फौज में रहकर भारत को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी चार देशों की यात्रा के बाद बुधवार को जयपुर लौटेंगे। विधानसभा अध्यक्ष की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की इस अध्ययन यात्रा से विधानसभा को नई गति मिलेगी। देवनानी ने कहा कि प्रत्येक देश और राज्य के विधान मण्डलों में स्थानीय व्यवस्थाओं के मुताबिक सदन संचालन की प्रक्रिया होती है, लेकिन हर विधान मंडल में नई विशेषताएं भी देखने को मिली है। यह विशेषताएं संबंधित विधान मंडल के नवाचार होते हैं, जो अन्य विधान मंडलों के लिए मार्गदर्शन साबित हो सकते हैं।

'शिक्षकों के शैक्षिक विकास में आधुनिक दृष्टिकोण व तकनीकों से परिचय जरूरी'

अजमेर, (कासं)। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आनंद भालेराव ने कहा कि शिक्षकों के शैक्षिक विकास में आधुनिक दृष्टिकोण व तकनीकों से परिचय जरूरी है। शिक्षकों को प्रयोगशाला विकास और मैनुअल तैयार करने के क्षेत्र में आवश्यक कौशल प्रदान करना इस कार्य की प्राथमिक जरूरत है। इससे शिक्षण प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाए रखा जा सकता है। कुलपति प्रो. आनंद भालेराव राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षकों के लिए ''प्रयोगशाला विकास व मैनुअल तैयार करने का प्रशिक्षण'' विषय पर केंद्रित पांच दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। यह कार्यक्रम 22 नवंबर तक चलेगा, जिसमें गुणवत्ता सुधार और नवीन शिक्षण पद्धतियों पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

- **राज. केन्द्रीय वि.वि. में क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ**

कार्यक्रम का विषय प्रयोगशाला अनुभव विकसित करना, परिणाम आधारित शिक्षा, संसाधनों का अधिकतम उपयोग आदि है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए स्कूल ऑफ अर्थ साइंसेज के डीन डॉ. देवेश कुमार ने आधुनिक शिक्षा में सुसज्जित प्रयोगशालाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला और शिक्षण के तरीकों में बदलाव की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षण विधियों में सुधार के लिए प्रयोगशाला सुविधाओं का पर्याप्त होना आवश्यक है।

राशिफल बुधवार 20 नवम्बर, 2024

पंडित अनिल शर्मा

मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2081, पुर्नवसु नक्षत्र दिन 2:50 तक, शुभ योग दिन 1:08 तक, तैतिल करण सायं 4:50 तक, चन्द्रमा आज प्रात: 8:49 से कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-कर्क, बुध-वृश्चिक, गुरू-वृष, शुक्र-धनु, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज कुमार योग दिन 2:50 तक है। आज दीक्षा दिवस (जैन) है।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:33 तक, शुभ 10:53 से 12:12 तक, चर 2:51 से 4:11 तक, लाभ 4:11 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:54, सूर्यास्त 5:30

मेष
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगी।

वृष
परिवार में शुभ और मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के कारण बाहर जाना पड़ सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं।

कर्क
व्यावसायिक मामलों में संयम रखना ठीक रहेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
व्यावसायिक मामलों में संयम रखना ठीक रहेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा है। शुभ-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

तुला
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। शुभ कार्य में व्यवधान सामने आ सकते हैं।

धनु
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा नहीं है। शुभ कार्य में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

मकर
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा नहीं है। शुभ कार्य में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

कुंभ
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
खान-पान में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अनावश्यक वाद-विवाद से परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।